पढ़े चलो, बढ़े चलो
RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय,परिसर, गौतम नगर, भोपाल–462023)
दूरभाष– 91–0755–2600124 फेक्स– 91–0755–2583651 , **Email: trg.acrmsa@gmail.com**

क्रमांक / आरएमएसए / 2018 / 1004 भोपाल, दिनांक–28 जुलाई 2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले मध्यप्रदेश

विषय :–कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का संचालन अवधि बढ़ाने विषयक।

संदर्भ :–इस कार्यालय का पत्र क्र. / आरएमएसए / 2018 / 626 दिनांक 14.06.18।

–oo–

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसमें कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी,गणित एवं अंग्रेजी विषय में ब्रिज कोर्स के संचालन हेतु निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय समय पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं वर्चुअल क्लास के माध्यम से भी निर्देश दिए गए हैं। जिलों के भ्रमण के दौरान यह सामने आया है कि स्कूलों में वर्कबुक समय से प्राप्त नहीं हो सकी हैं।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि ब्रिज कोर्स संचालन की दिनांक में 31 जुलाई के स्थान पर 31 अगस्त तक की वृद्धि की जाये। अतः सभी शालाओं को सूचित करें कि कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स 31 अगस्त तक संचालित किया जायेगा। कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स संचालन की अवधि बढ़ाये जाने से त्रैमासिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में पूर्व में जारी निर्देश में निम्नानुसार परिवर्तन किया जा रहा है। ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम को त्रैमासिक परीक्षा में 80% वेटेज दिया जायेगा तथा 20% वेटेज पढ़ाई गई यूनिट पर आधारित होगा।

माह	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी
अगस्त	ब्रिज कोर्स	ब्रिज कोर्स	ब्रिज कोर्स
सितंबर	यूनिट–1 (शैक्षणिक केलेण्डर अनुसार)	निर्देशांक ज्यामिति	यूनिट–1 (शैक्षणिक केलेण्डर अनुसार)

ब्रिज कोर्स का संचालन दिए गए निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण,म॰प्र॰

पृ.क्रमांक / आरएमएसए / 2018 / 1005 भोपाल, दिनांक–28 जुलाई 2018

प्रतिलिपि –

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, समस्त लोक शिक्षण संभाग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सहायक आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण,म॰प्र॰